

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर
क्रमांक :- ई-18/एम/जोन-जोधपुर/2019/ दिनांक

आदेश

राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के नियम 41 के तहत वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.15(1)एफडी/रूल्स/2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 की अनुपालना में श्री मनोज कुमार, कनिष्ठ सहायक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, हाडेचा, जालौर जिनकी राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 02.07.2010 है तथा दिनांक 01.07.2012 को दो वर्ष की परिवीक्षाकाल अवधि पूर्ण करली है। कार्मिक द्वारा दिनांक 02.02.2018 को टंकण परीक्षा एवं दिनांक 06.06.2017 को आरएससीआईटी परीक्षा उत्तीर्ण करने के फलस्वरूप कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प3(1)कार्मिक/क-2/2013 जयपुर दिनांक 04.05.2017 के अनुसरण में परिवीक्षाकाल अवधि पूर्ण करने के पश्चात आरएससीआईटी परीक्षा उत्तीर्ण दिनांक 06.06.2017 से रूपये 20800(लेवल-5) पर वेतन नियतन करते हुए एतद द्वारा स्थाई किया जाता है।

कर्मचारी को टंकण परीक्षा उत्तीर्ण तिथि 02.02.2018 से वार्षिक वेतन वृद्धि का नकद लाभ देय होगा।

(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0 जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/जोन-जोधपुर/2019/1094

दिनांक 15/05/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- 1 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जालौर।
- 2 चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामोद, हाडेचा, जालौर।
- 3 श्री मनोज कुमार, कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- 4 प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करे।
- 5 आदेश/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0 जयपुर